रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1975/भाद्र 21, 1897

No 358] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1975/BHADRA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th September 1975

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby nominates Shri D. C. Lucksom, Secretary to the Government of Sikkim in the Food and Civil Supplies Department, to be the Chief Electoral Officer for that State, with effect from the date he assumes charge of that office.

[No. 154/SKM/75]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का०आ० 497(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से सिक्किम राज्य सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में सचिव श्री डी० सी० लुकसोम को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से उस राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है ।

[सं० 154/सिक्किम/75]

S.O. 498(E).—Whereas one seat has been allotted to the State of Sikkim in the House of the People by clause (d) of article 371-F of the Constitution as inserted by the Constitution (Thirty-Sixth Amendment) Act, 1975; and

Whereas the representative of the State of Sikkim in the existing House of the People shall be elected by the members of the Legislative Assembly of Sikkim under the provisions of clause (e) of the said article 371-F;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 14A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) as inserted by the Election Laws (Extension to Sikkim) Ordinance, 1975, the Election Commission hereby calls upon the members of the Legislative Assembly of Sikkim to elect the member to fill the said seat in accordance with the provisions of the said Act and the Rules and Orders made thereunder.

[No. 464/SKM/75(1)]

का०आ० 498 (अ).—संविधान में, संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथा अन्तः स्थापित, अनुच्छेद 371 च के खण्ड (घ) द्वारा सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक स्थान आवंटित किया गया है; और

विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधि सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उक्त अनुच्छेद 371च के खण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित किया जाएगा;

अतः, निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तारण) अध्यादेश, 1975 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) में यथा अन्तः स्थापित धारा 14क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों के उक्त स्थान को भरने के लिए, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार, एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करता है ।

[सं० 464/सिक्किम/75(1)]

S.O. 499(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the election to the House of the People by the members of the Legislative Assembly of Sikkim to be held in pursuance of its notification No. 464/SKM/75(1), dated 12th September, 1975:—

(a) 19 September, 1975 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) 20 September, 1975 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 22 September, 1975 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 29 September, 1975 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 3 October, 1975 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 464/SKM/75(2)]

का०आ० 499 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/सिक्किम/75(1), तारीख 12 सितम्बर, 1975 के अनुसरण में, सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में:—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 19 सितम्बर, 1975 (शुक्रवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 20 सितम्बर, 1975 (शनिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	22 सितम्बर, 1975 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	29 सितम्बर, 1975 (सोमवार,) तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	3 अक्तूबर, 1975 (शुक्रवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 464/सिक्किम/75(2)]

S.O. 500(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (41 of 1951), the Election Commission hereby fixes 11 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election in the House of the People by the members of the Legislative Assembly of Sikkim to be held in pursuance of its notification No. 464/SKM/75(1), dated 12 September, 1975.

[No. 464/SKM/75(3)]

का०आ० 500 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/सिक्किम/75 (1), तारीख 12 सितम्बर, 1975 के अनुसरण में सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 464/सिक्किम/75(3)]

S.O. 501(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim hereby—

(i) nominates Shri R. K. Gupta, Secretary to the Legislative Assembly of Sikkim, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints Shri B. N Sharma, Deputy District Officer, East District, Gangtok to assist the said Returning Officer in the performance of his functions,

in respect of election of one member to the House of the People by the members of the Legislative Assembly of Sikkim, to be held in pursuance of the Election Commission's notification published in the Gazette of India on 12 September, 1975.

[No. 464/SKM/75(4)]

का०आ० 501 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से भारत के राजपत्र में तारीख 12 सितम्बर, 1975 को प्रकाशित निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में, सिक्किम की विधान सभा के सदस्यों द्वारा लोक सभा के लिए होने वाले एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में—

(i) श्री आर० के० गुप्त, सिक्किम की विधान सभा के सचिव, को रिटर्निंग आफिसर के रूप में नामनिर्देशित करता है, और

(ii) श्री बी० एन० शर्मा, उपजिला आफिसर, पूर्वी जिला, गंगटोक को उक्त रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में, सहायता करने के लिए नियुक्त करता है ।

[सं० 464/सिक्किम/75 (4)]

S.O. 502(E).—Whereas the President has, by notification published in the Gazette of India on the 12 September, 1975, called upon the elected members of the Legislative Assembly of Sikkim to elect one member to the Council of States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

(a) 19 September, 1975 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) 20 September, 1975 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 22 September, 1975 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 30 September, 1975 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 3 October, 1975, (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/SKM/75(1)]

का०आ० 502 (अ).—यतः, राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र में तारीख 12 सितम्बर, 1975 को प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा सिक्किम की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में एतद्द्वारा निम्नलिखित तारीख नियत करता है—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	19 सितम्बर, 1975 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	20 सितम्बर, 1975 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	22 सितम्बर, 1975 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा; तथा	30 सितम्बर, 1975 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा।	3 अक्टूबर, 1975 (शुक्रवार)

[सं० 318/सिक्किम/75(1)]

S.O. 503(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission hereby fixes 11.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the election to the Council of States in the State of Sikkim to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India, on 12 September, 1975.

[No. 318/SKM/75(2)]

का०आ० 503 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख 12 सितम्बर, 1975 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, सिक्किम राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में, 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा।

[सं० 318/सिक्किम/75(2)]

S.O. 504(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby—

(i) nominates Shri R. K. Gupta, Secretary to the Legislative Assembly of Sikkim, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints Shri B. N. Sharma, Deputy District Officer, East District, Gangtok, to assist the said Returning Officer in the performance of his functions,

in respect of election of one member to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Sikkim, to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 12 September, 1975.

[No. 318/SKM/75(3)]

By order,

A. N. SEN, Secy.

का०आ० 504 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 और धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 12 सितम्बर, 1975 को प्रकाशित निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में सिक्किम की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में—

(i) श्री आर० के० गुप्त, सिक्किम की विधान सभा के सचिव, को रिटर्निंग आफिसर के रूप में नामनिर्देशित करता है, और

(ii) श्री बी० एन० शर्मा, उपजिला आफिसर, पूर्वी जिला, गंगतोक को उक्त रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में, सहायता करने के लिए नियुक्त करता है।

[सं० 318/सिक्किम/75(3)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975